

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/1059

भोपाल, दिनांक 01/04/25

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 015/2022-BHO/I/80376 दि. 22.08.2024

-----0-----

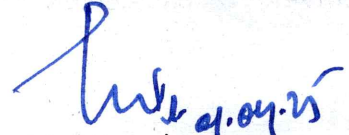
कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of actual forest boundaries established in the prevailing approved working plan.	वन मण्डल अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2025 से अवगत कराया है कि अपलोड की गई KML प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमाओं के आधार पर सीमांकन किया गया है।
2	In view of guideline dated 27.12.2023 compensatory afforestation shall be carried out on equivalent non forest land. Thus, KML file of non-forest land for CA along with the CA scheme, suitability certificate, certificate of non encumbrances, digital map shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2025 से अवगत कराया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रकरणों में समतुल्य राजस्व भूमि की छूट प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव 2021 से प्रचलित था, जिसमें दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 86.00 हेक्टेयर पर रोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसे आवेदक संस्थान के अनुरोध पर मान्य करने का कष्ट करें। ऑनलाईन के TimeLine Details C. Essential Details Sought History के बिन्दु क्रमांक 57 दिनांक 29.03.2025 से अपलोड किया गया है।

3	The working permission shall not be issued by the State Govt in this project and suitability of the area proposed for CA will be reviewed by the REC prior to submission of compliance of in principle approval.	बिन्दु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।
4	The User Agency shall submit a site improvement plan for isolated patches affected by the construction of proposed road at coordinate (26° 14'55.82"N, 78° 4'6.54"E). The site improvement plan must include all necessary components like fencing watering facility, soil work etc.	आवेदक संस्थान द्वारा इस बिन्दु के संबंध में प्रतिवेदन ऑनलाईन के TimeLine Details C. Essential Details Sought History के बिन्दु क्रमांक 57 दिनांक 29.03.2025 से अपलोड किया गया है।
5	The User Agency shall submit an undertaking to the effect that all the conditions of Wildlife clearance shall be strictly complied.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन के TimeLine Details C. Essential Details Sought History के बिन्दु क्रमांक 57 दिनांक 29.03.2025 से अपलोड किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

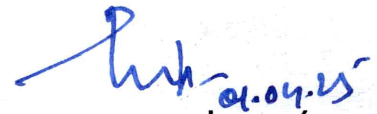

(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 01/04/25

पृ. क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/1060
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल